



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 05 मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को कारावास व 52 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 05 मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को कारावास व 52 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग 74/99 धारा 401 भादवि के अभियुक्त राज पुत्र उत्तम मुसलमान निवासी छावनी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **03 वर्ष के कारावास व 5000/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग 889/95 धारा 457/380 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-राज पुत्र मुनुवा व 2-शाहिद पुत्र तमन्ना निवासीगण छावनी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **04-04 वर्ष के कारावास व 15000-15000/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग 1222/95 धारा 379/411 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-राज पुत्र मुनुवा व 2-शाहिद पुत्र तमन्ना निवासीगण छावनी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **02-02 वर्ष के कारावास व 5000-5000/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना नरैनी पर पंजीकृत अभियोग 111/93 धारा 457/380 भादवि के अभियुक्त हिस्सा पुत्र सिंहवानर निवासी बरछा थाना कालिंजर जनपद बांदा को **5000/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग 194/01 धारा 25 आयुध अधि० के अभियुक्त रामधनी पुत्र भोगीलाल निवासी मोहनपुरवा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को **2000/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।